न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा,

केम्प कोर्ट सम्बाडिया

पीठासीन अधिकारी :– हरिसिंह लम्बोरा (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 51/2016

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
भरतसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी भगासनी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर		1 रेवतसिंह पुत्र जुंझारसिंह 2 लालसिंह पुत्र जुंझारसिंह 3 चम्पाकंवर पत्नी रेवतसिंह 4 पूनमकंवर पत्नी लालसिंह 5 विश्वनाथसिंह पुत्र रेवतसिंह जातियान रावणा राजपूत निवासीगण–भगासनी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर 6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट

उपस्थिति :–वादी की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट

प्रतिवादी 1 से 5 ओर से श्री सी.आर.चौधरी एडवोकेट

प्रतिवादी संख्या 6 सरकारी पैरोकार।

निर्णय दिनांक :– 26.05.2017

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम भगासनी, तहसील बिलाडा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 36 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/1 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/2 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/4 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/5 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 123/8 रकबा 33 बीघा 9 बिस्वा कुल खसरा छः कुल रकबा 106 बीघा 4 बिस्वा स्थित है। उपरोक्त सयुक्त खातेदारी भूमि पर वादी का हक व हिस्सा है। वादी इस भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। जिसके सबूत में जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत है। अभी बरसात होने पर वादी ने अपनी सयुक्त खातेदारी की बंटसुदा भूमि खसरा नम्बर 120, 120/1, 120/2, 120/4 120/5, 123/8 में तिली, बाजरी, मूंग की फसल को बोया। दिनांक 17.07.2016 को वादी अपनी सयुक्त खातेदारी

सहायक कलेक्ट्रर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

की बंटसुदा भूमि में निदान का कार्य कर रहा था तो इतने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 वादी के खेत के अन्दर अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर वादी को धमकी दी कि खेत को कैसे बो दिया, जिस पर वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को कहा कि खेत मेरी खातेदारी के है, आपका मेरी खातेदारी भूमि पर दखलन्दाजी पैदा करने का कोई अधिकार नही है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने वादी को कहा कि खेत मुगाते पर दे रखे है तो वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को कहा कि खेत पर मै ही काश्त कार्य करता हूँ, मेरी बंटसुदा व कब्जा काश्तसुदा भूमि पर मुगाते पर देने का किसी को कानूनी अधिकार नही है, मै मेरी बन्टसुदा भूमि पर शुरू से लेकर आज दिन तक काश्त कार्य कर बंट सुदा भूमि को बोता हूँ। इतने में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने वादी के साथ मारपीट कर धक्का धूम देना शुरू कर दिया तो वादी चिल्लाया आस पड़ौस के काश्तकारों ने वादी को प्रतिवादी संख्या 1 से 5 से छुडवाया और प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने जाते जाते एलानिया धमकी दी कि उपरोक्त खातेदारी भूमि के अन्दर आ गया तो जान से ही खत्म कर देंगे। दावे के पद संख्या 1 में वर्णित भूमि वादी की खातेदारी एवं कब्जा काश्तसुदा की है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को किसी प्रकार का दखल करने का अधिकार नही है, फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने नाजायज तौर से कब्जा करने की नियत से काश्त करना शुरू कर वादी की खातेदारी अधिकारों एवं उनकी खातेदारी भूमि के उपभोग में बाधा उत्पन्न करने की धमकी दी है। इस कारण वादी का अपने खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की रक्षा के लिए यह दावा पेश करना पड़ रहा है, अगर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि के किसी भी भाग पर दखल करने से एवं काश्त करने से नही रोका गया तो वादी को अपूर्णनीय हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति नही की जा सकती एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को वादी के कब्जे काश्त में दखल करने से रोका जाना आवश्यक है। विवादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी की भूमि है जिस पर काश्त करने का वादी को पूरा अधिकार है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का विवादग्रस्त भूमि से कोई सम्बंध नही है प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का दखल करने का अधिकार नही है, फिर भी प्रतिवादी संख्या 1 से 5 वादी

सहायक कलेक्ट्र
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

को काश्त नही करने देने की धमकी दे रहा है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को वादी के कब्जे काश्त में नाजायज दखल करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा नही रोका गया तो वादी को अपूर्णनीय हानि होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नही होगा। अन्त मे निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो ग्राम भगासनी तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 36 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/1 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/2 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/4 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/5 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 123/8 रकबा 33 बीघा 9 बिस्वा कुल खसरा छः कुल रकबा 106 बीघा 4 बिस्वा में वादी के बंटसुदा, कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल हस्तक्षेप करे तथा न अन्य किसी से करावे, न ही प्रतिवादी संख्या 1 से 5 वादी की खातेदारी भूमि के किसी भी भाग पर काश्त आदि कार्य करे।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से श्री सी.आर. चौधरी अधिवक्ता ने जवाब दावा व वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से वादी द्वारा पेश दावे के तथ्यों को इन्कार करते हुए जवाब पेश कर मुख्य रूप से अभिकथन किया कि वादी विगत 20 वर्षो से अधिक समय से अपना गांव भगासनी में रहना छोड़ दिया, वादी अपनी भूआ ओमकंवर व सोहनकंवर के गौद चला गया, जिसका गौदनामा लिखा गया। वादी गांव पाचलाखुर्द तहसील ओसिया जिला जोधपुर में निवास करता है तथा पांचला खुर्द में आयी हुयी भूमि पर काश्त करता है वादी का यह कहना गलत है कि अभी बरसात होने पर उसने खेत खसरा नम्बर 120, 120/1, 120/2, 120/4, 120/5, 123/8 में काश्त कार्य किया हो। वादी ने दिनांक 17.07.2016 को किसी भी भूमि पर कोई निदान कार्य नही किया। वादग्रस्त कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण कभी भी नही गये, न ही प्रतिवादीगण ने वादी को धमकी दी, वादी के साथ किसी प्रकार की मारपीट नही की गयी। वादी ने जानबुझकर तथ्यों को छुपाया है। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी व उसके भाईयों के साथ तीन बहने हेमतला कंवर, कल्याण कंवर व वैद्ययन्ती कंवर सहखातेदार है। वादी ने पन्नेसिंह नामक

सहायक कलेक्ट्र
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

व्यक्ति से मिलकर कूटरचना की है। हेमलता कंवर ने अपनें पति के विरूद्ध मुकदमा किया, जिसमें प्रतिवादी रेवतसिंह ने हेमलता कंवर के पक्ष में बयान दिया, प्रतिवादी रेवतसिंह समय–समय पर हेमलता कंवर की मदद करता आ रहा है। वादी अपनी बहिनों को भूमि में हक हिस्सा नही देना चाहता है इस कारण सें वादी ने उपरोक्त दावा प्रतिवादीगण के विरूद्ध बदनियतीपूर्वक प्रस्तुत किया है जबकि प्रतिवादीगण का विवादग्रस्त कृषि भूमि पर से कोई लेना देना नही है। ठीक इसी प्रकार का मुकदमा पन्ने सिंह ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश किया, जिनका एक ही मकसद हेमलता कंवर की मदद नही करना है। वादी ने एक वाद पूर्व में राजस्व मूलवाद संख्या 24/2014 भरतसिंह बनाम नरेन्द्रसिंह माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया, उक्त वाद में कोई स्थगन प्राप्त नही हुआ तो पुनः उन्ही आधारों पर वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध उक्त दावा प्रस्तुत किया। इस वर्ष बरसात होने पर विरेन्द्रसिंह, हेमलता कंवर, कल्याण कंवर ने अपने हक हिस्से पर काश्त किया जिससे वादी नाराज हो गया, वादी ने दिनांक 25.04.2016, 02.05.2016, 09.05.2016 को अपनी बहन हेमलता कंवर के साथ मारपीट की जिसका मुकदमा पुलिस थानाधिकारी बिलाड़ा के समक्ष दर्ज किया गया। वादी की बहिन कल्याण कंवर ने भी फौजदारी मुकदमा पेश किया। वादी येनकेन प्रकारेण विवादग्रस्त भूमि अपनी बहिनों को नही देना चाहता है, जिसकी आड़ में वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपरोक्त झुठा मुकदमा पेश किया है। अन्त में वादी का दावा खारिज करने का निवेदन किया।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला अपने पक्ष में साबित करने का भार वादी पर है। जिस बाबत् विद्धान अधिवक्ता वादी ने अपने वादपत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिया कि विवादग्रस्त खसरा 120, 120/1, 120/2, 120/4, 120/5, 123/8 उसकी सयुक्त खातेदारी की कब्जा काश्तसुदा भूमि है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 वादी को काश्त कार्य करने में बाधा उत्पन्न कर रहे है इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को वादी की खातेदारी भूमि में किये जा रहे दखल को रोका जावे और इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। वादी रेकर्डेड खातेदार है। इस कारण प्रथम दृष्टया मामला वादी के पक्ष में है। दौराने बहस

सहायक कलेक्ट्र
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 5 ने जवाब में वर्णित तथ्यो की पुनरावृति करते हुए मुख्य रूप से तर्क दिया कि विवादग्रस्त आराजी पर वादी का कोई कब्जा नही है। वादग्रस्त खसरान की भूमि पर वादी ने करीब 20 वर्ष से काश्त नही किया है तथा न ही वादी ग्राम भागासनी में स्थायी तौर पर निवास करता है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी को कभी भी धमकी नही दी और न ही काश्त करने से मना किया। विद्वान अधिवक्तागण के विरोधाभाषी तर्कों पर मनन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह तथ्य सामने आया कि ग्राम भागासनी की भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 36 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/1 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/2 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/4 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/5 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 123/8 रकबा 33 बीघा 9 बिस्वा कुल खसरा छः कुल रकबा 106 बीघा 4 बिस्वा का वादी सयुक्त रेकर्डेड खातेदार है। विवादग्रस्त भूमि वादी की खातेदारी की भूमि है जिस पर काश्त करने का वादी को पुरा अधिकार है। प्रतिवादी का वादी की भूमि से कोई सम्बंध नही है। विवादित मामले में रेकर्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लाने का कानूनन अधिकारी होता है। विवादित भूमि वादी की रेकर्डेड सयुक्त खातेदारी की भूमि है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई निर्णय नजीरों में प्रतिपादित किया है कि विवादित सम्पति की सुरक्षा के लिए निवारक अनुतोष के रूप में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है। स्थायी निषेधाज्ञा का दावा केवल रेकर्डेड खातेदार ही ला सकता है। वादी विवादित भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। इस कारण रेकर्डेड खातेदार के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज होने के कारण उनके पक्ष में मामला बनता है तथा अगर स्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की गयी तो वादी को अपूर्णनीय हानि होगी और वह खेती करने से महरूम हो जायेंगे। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी भरतसिह की ओर से प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हूँ।

सहायक कलेक्टर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश

अतः वादी भरतसिंह का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो ग्राम भागासनी तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 36 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/1 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/2 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/4 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/5 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 123/8 रकबा 33 बीघा 9 बिस्वा कुल खसरा छः कुल रकबा 106 बीघा 4 बिस्वा में वादी के बंट सुदा कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल, हस्तक्षेप करे एवं न ही अन्य किसी से करावे, न ही प्रतिवादी संख्या 1 से 5 वादी की खातेदारी भूमि के किसी भी भाग पर काश्त आदि कार्य करे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा सत्यमेव जयते

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 26.05.2017 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा सत्यमेव जयते

(हरिसिंह लम्बोरा)
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
केम्प कोर्ट सम्बाड़िया
व इजलास हरिसिंह लम्बोरा आर.ए.एस.

वादी

भरतसिंह पुत्र नाथूसिंह जाति राजपूत निवासी भगासनी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादी

1 रेवतसिंह पुत्र जुंझारसिंह
2 लालसिंह पुत्र जुंझारसिंह
3 चम्पाकंवर पत्नी रेवतसिंह
4 पूनमकंवर पत्नी लालसिंह
5 विश्वनाथसिंह पुत्र रेवतसिंह जातियान रावणा राजपूत निवासीगण–भगासनी, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :– 51/2016

निर्णय दिनांक :– 26.05.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से श्री सी.आर. चौधरी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 6 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो ग्राम भागासनी तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 120 रकबा 36 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/1 रकबा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/2 रकबा 11 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/4 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 120/5 रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 123/8 रकबा 33 बीघा 9 बिस्वा कुल खसरा छः कुल रकबा 106 बीघा 4 बिस्वा में वादी के बंट सुदा कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल, हस्तक्षेप करे एवं न ही अन्य किसी से करावे, न ही प्रतिवादी संख्या 1 से 5 वादी की खातेदारी भूमि के किसी भी भाग पर काश्त आदि कार्य करे।

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड अधि...
बिलाड़ा

तीज – मुबलिग – बाबत् –
खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करे।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.05.2017 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्ट्रर
एव उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा